न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 36/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00252

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली		फूलाराम पुत्र हेमाराम जाति नाई निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :

दिनांकः– 10.11.2021

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी खसरा नंबर 697 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकर्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी फुलाराम पुत्र हेमाराम, जाति नाई निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी के खसरा नंबर 697 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमी का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1412 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी का उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित उपरोक्त आराजी पर संवत 2077 में रबी की फसल में कब्जा किया जाना बताया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार 2072–76 तक संलग्न गिरदावरी अनुसार आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं था। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1–क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2072–76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमी पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमी पर भी काश्त करनी होती है जो नही की गई है इस लिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नही देने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आंवटी ने दिनांक 13.2.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया था उक्त आवंटन ग्राम खिवांदी पटवार हल्का खिवांदी के खसरा नंबर 697 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमी का आवंटन किया गया था उपरोक्त आराजी से सबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार 2072–76 तक संलग्न गिरदावरी अनुसार आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं था। जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट में आंवटित आराजी पर संवत 2077 में रबी की फसल में आवंटी का कब्जा किया जाना बताया है जबकि आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त संवत 2076 तक नहीं था आवंटी को आंवटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इस प्रकार आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व आवंटी अप्रार्थी फूलाराम पुत्र हेमाराम जाति नाई निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 13.2.2013 को ग्राम खिवांदी पटवार हल्का खिवांदी के खसरा नंबर 697 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:32:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली